

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3660] No. 3660] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

का.आ. 4823(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12.09.2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 66 से धारा 70 (दोनों धाराओं सहित) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/5/2013-सीएल-V-भाग-1] के. वी. आर. मुर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2018

S.O. 4823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 12th September, 2018 as the date on which the provisions of sections 66 to 70 (both inclusive) of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/5/2013-CL-V- Part I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.